राजस्थान संगीत नाटक अकादमी,जोधपुर

मासिक नाट्य प्रदर्शन योजना

प्रदेश के रगकर्म को निरन्तरता प्रदान करने एवं नाटकों को प्रदर्शन के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध करवाने के ध्येय से राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा मासिक नाट्य प्रदर्शन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना से जहां एक और प्रदेश का रंगकर्म गतिमान होता है वही दूसरी ओर दर्शको को नियमित व निर्धारित दिवस पर नाटक देखने के अवसर प्राप्त होते है।

नियम

1.	ये नियम मासिक नाट्य प्रदर्शन योजना के नाम से जाने जायेंगे।
2.	इस योजनान्तर्गत प्रदेश की समस्त नाट्य संस्थाऐं/निर्देशक हिस्सा ले सकेंगे।
3.	इच्छुक संस्थाऐं/निर्देशक को अपने प्रस्ताव नाटक के बारे में विस्तृत जानकारी यथा नाटक का नाम,लेखक,निर्देशक, कथासार,पात्र परिचय,नाटक की अवधि,कलाकारों की कुल संख्या, नाट्य आलेख एवं पूर्व प्रदर्शन के छायाचित्र व प्रचार सामग्री सहित अकादमी को भेजेने होंगे।
4.	अमांत्रित नाट्य दलों को निम्नानुसार मानेदय देय होगाः– i) स्थानीय नाट्य दल एक मुश्त 20,000/–रूपये ii) बाहरी नाट्य दल एक मुश्त 25,000/– रूपये जिसमें दल का आने जाने का किराया, भोजन व्यय व अन्य सभी व्यय सम्मिलित होगा। आवास की व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की जायेगी।
5.	इस योजना में सामान्यता हिन्दी व राजस्थानी भाषा के ऐसे पूर्णाकी नाटकों को सम्मिलित किया जायेगा जिसकी समयावधि लगभग एक घंटा तीस मिनिट हो।
6.	इस योजना के अन्तर्गत केवल उन्ही नाटकों के प्रस्ताव मान्य होगे जिनका पूर्व में कम से कम एक प्रदर्शन हो चुका हो।
7.	नाटक के लेखक–निर्देशक की स्वीकृति व उनके मानदेय की जिम्मेदारी प्रदर्शकारी दल की होगी।
8.	आयोजन समिति/सहभागी संस्था द्वारा नाट्य मंचन हेतु हॉल, प्रकाश उपकरण व माईक की सामान्य व्यवस्था उपलब्ध करावाई जायेगी।
9.	मंच सज्जा,रूप सज्जा व अन्य साधन/सामग्री की व्यवस्था प्रदर्शनकारी दल को स्वयं करनी होगी।
10.	बाहर से आन वाले दलों को अपने गंतव्य स्थान से प्रस्थान व मंचन स्थान पर पहुंच की सूचना आयोजन समिति के संयोजक को भेजना आवश्यक होगा।
11.	योजना में नाटक स्थानीय तथा 3 नाटक बाहर के मंचित होगे।
12.	नाटकों के प्रदर्शन से प्राप्त होने वाली आय स्थानीय आयोजन समिति की होगी जिसका उपयोग बाहरी दलों की आवास व्यवस्था व अन्य आयोजकीय कार्यो हेतु किया जायेगा। टिकिट छपवाने व विक्रय की व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की जायेगी।
13.	योजना में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार अकादमी को रहेगा।